न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक /2018 निगरानी

1– श्याम कुमार पुरोहित पुत्र स्व0 श्री विशम्भर दयाल पुरोहित, आयु– 63 वर्ष, व्यवसाय– सेवानिवृत्त निवासी– जवाहर वार्ड, पुलिस स्टेशन के पास, बीना, जिला सागर, म0प्र0

2– प्रदीप कुमार पुरोहित पुत्र स्व0 श्री विशम्भर दयाल पुरोहित, आयु– 57 वर्ष, व्यवसाय– कृषि निवासी– कानून गो वार्ड, पुलिस स्टेशन के पास, बीना, जिला सागर, म0प्र0

..........................**आवेदकगण**

बनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर महोदय जिला सागर

2– मनका पुत्र स्व0 श्री नत्थू, निवासी– ग्राम बैसरा, तहसील बीना, जिला सागर, म0प्र0..

................**अनावेदकगण**

श्री .... द्वारा आज दि० .... प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक .... नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, विरूद्व आदेश दिनांक 19/01/2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त महोदय, सागर संभाग सागर जो प्रकरण कमांक अपील /185/अ–23/वर्ष 2009–10 में पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता निरस्त की है। आदेश दिनांक 19/01/18 की प्रमाणित प्रति निगरानी के साथ संलग्न की जाकर एनेक्जर ए/1 से चिन्हित किया गया है।

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की निगरानी सविनय निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है:–

संक्षिप्त तथ्य

(7)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण क्रमांक–एक / निगरानी / सागर / भू.रा. / 2018 / 2489

श्याम कुमार पुरोहित आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–10–18	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री भूपेन्द्र कुमार महौर उपस्थित एवं अनावेदक शासन की ओर से शासकीय अभिभाषक श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित । उन्हें ग्राहयता के बिन्दु पर सुना गया। 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के प्र. क्र. अपील–185 / अ–23 / 2009–10 में पारित आदेश दिनांक 19–01–2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में आलोच्य आदेश की सत्यापित प्रति एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा आदेश 22 नियम 4 की सहपठित धारा 32 के साथ मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण आवेदक का आवेदन निरस्त किया है। आदेश 22 नियम 4 के आवेदन के साथ मृत्यु– प्रमाण एवं शपथ–पत्र संलग्न करना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा आवेदक का आवेदन निरस्त करने में कोई अवैधानिकता नहीं है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (आर.के. जैन) 29.x.18 सदस्य	